उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19–सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

सूचना/विज्ञप्ति(Website) हेतु

संख्याः पीआरपीबी–1–मृ0आ0/(SICP)2022(87-पद), दिनांकः अक्टूबर 27 ,2023

उ0प्र0 पुलिस विभाग में सेवाकाल में मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों के सेवायोजन के अन्तर्गत शासनादेश संख्याः 2030/6–पु–15–2013/2015, दिनाँकितः 18.09.2015 तथा उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्याः 18/ए–1(124)–2013, दिनाँकितः 24.11.2015 में प्राख्यापित व्यवस्था के अनुसार चयन प्रकिया सम्पन्न की जाती है।

2– पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा अधियाचित उपनिरीक्षक ना0पु0 के 87 पदों के सापेक्ष शारीरिक दक्षता परीक्षा में उपयुक्त घोषित अभ्यर्थियों की ओ0एम0आर0 आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकृति की लिखित परीक्षा दिनांकः 26.10.2023 को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग भवन परीक्षा केन्द्र में आयोजित की गई थी।

3– उक्त परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प प्रकाशित किये जा रहे है, अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि उत्तर विकल्पों के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हों, तो उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भेजने का कष्ट करें। आपत्तियाँ प्रेषित करते समय अपना अनुकमांक तथा प्रश्न संख्या का उल्लेख करते हुये आपत्तियाँ तथा अपने कथन के सम्बन्ध में पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिन आपत्त्यिों के सम्बन्ध में कोई निश्चयात्मक मत अथवा पुष्टिकारक साक्ष्य अभ्यर्थी द्वारा प्रेषित नहीं किया जायेगा उन आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

4– उक्त परीक्षा में उप निरीक्षक पद हेतु अभ्यर्थियों को दिये गये प्रश्न–पत्र में यदि कोई प्रश्न त्रुटिपूर्ण टंकण या अन्य किसी कारण से निरस्त किया जाता है, तो उस प्रश्न के लिये आवंटित अंको का वितरण रिट याचिका संख्या–2669(एम0बी0)/2009 पवन कुमार अग्रहरी बनाम उ0प्र0 लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय के अनुरूप किया जायेगा।

5– अभ्यर्थीगण अपनी आपत्तियां बोर्ड की वेबसाइट http:uppbpb.gov.in// पर दिये गये लिंक पर दिनांकः 03.11.2023 मध्य रात्रि तक भेजें। लिंक पर लॉग इन करने के लिये अपने अनुकमांक तथा जन्मतिथि का प्रयोग करें।

6– अभ्यर्थीगण अपनी आपत्ति के संदर्भ के लिये विज्ञप्ति में प्रकाशित प्रश्न–पत्र (Master Question Paper) के प्रश्न संख्या का ही उपयोग करें।

7– अभ्यर्थियों को अपनी आपत्ति के समर्थन में साक्ष्य/तर्क/सन्दर्भ का उल्लेख करना अनिवार्य है।

8– अभ्यर्थियों को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपनी सभी आपत्तियों को एक साथ समेकित रूप से निर्धारित समय अवधि से पूर्व भेजें, दिनांकः 03.11.2023 के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

27.X.2023

अपर सचिव, भर्ती
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।